BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 03 मार्च, 2025 **थाना अनूपशहर**

हरेन्द्र की हत्या में संलिप्त पत्नी सहित 03 हत्यारोपी गिरफ्तार, निशांदेही पर घटना में प्रयुक्त लोहे की रॉड(आलाकत्ल) बरामद।

अवगत कराना है कि दिनांक 02.03.2025 को थाना अनपूशहर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम श्यौरामपुर के जंगल में हरेन्द्र पुत्र देवेन्द्र निवासी ग्राम श्यौरामपुर थाना अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर का शव मिला था । इस संबंध में मृतक के भाई इन्दरजीत सिंह की तहरीर के आधार पर थाना अनूपशहर पर मुअसं- 95/25 धारा 103(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

उक्त घटना के क्रम में आज दिनांक 03.03.2025 को थाना अनूपशहर पुलिस द्वारा मृतक की पत्नी सहित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों की निशादेही पर आलाकत्ल लोहे की रॉड को बरामद किया गया।

अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना अनूपशहर पर पंजीकृत मुकदमा उपरोक्त में धारा 61(2) बीएनएस की वृद्धि कर अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1. संदीप पुत्र चन्द्रभान सिंह निवासी ग्राम श्यौरामपुर थाना अनूपशहर जनपद बुलन्दशहर।
2. सुधीर उर्फ कलुआ पुत्र वीरपाल सिंह निवासी उपरोक्त
3. कीर्ति पत्नी स्व हरेन्द्र निवासी उपरोक्त

बरामदगी-

1. 01 लोहे की रॉड(आलाकत्ल)

गिरफ्तार अभियुक्त संदीप ने बताया कि उसके मृतक की पत्नी कीर्ति से सम्बन्ध थे, उसकी मृतक की पत्नी कीर्ति से फोन पर बातचीत होती थी। मृतक हरेन्द्र शराब के नशे में अपनी पत्नी कीर्ति के साथ आये दिन मारपीट करता था जिससे कीर्ति ने उससे फोन पर हरेन्द्र को रास्ते से हटाने की योजना बनायी। योजनानुसार उसने व सुधीर उर्फ कलुआ ने गेहू के खेत में पहले से ही लोहे की रॉड छिपाकर रख दी तथा दिनांक 01.03.2025 की शाम को हरेन्द्र को शराब पिलाने के बहाने खेत में ले गये। वहां पर हरेन्द्र को अधिक शराब पिला दी तथा जब हरेन्द्र नशे में हो गया तो लोहे की रॉड से वार कर हरेन्द्र की हत्या कर दी तथा वहां से फरार हो गये।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री विशम्बर दयाल थाना प्रभारी थाना अनूपशहर
2. उ0नि0 मनीष कुमार, उ0नि0 लोकेन्द्र, म0उ0नि0 रंजना,
3. है0का0 अंकित तोमर, का0 रवि कुमार, का0 अंकुश कुमार, म0का0 बबीता

मीडिया सेल बुलंदशहर